रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 1972/भाद्र 7, 1894

No. 222] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 1972/BHADRA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August 1972

G.S.R. 392(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of

Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture), No. G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:—

In the said notification,—

(i) after item (iii) and the entry relating thereto, the following items shall be inserted, namely:—

"(iii-A) The Quality Control Officer, Ministry of Agriculture (Department of Food), New Delhi (functionary at present executing the functions of the Director of Storage and Inspection, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food), ex-officio.

(iii-B) The Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), Off Eastern Express Highway, SION, Bombay-22 (DD), (functionary at present executing the function of the Chief Adviser of Factories), ex-officio."

[No. F.22-1/70-PPS.]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 392(अ०):—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 301 दिनांक 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(i) मद (iii) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित मदें अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(iiie) गुण नियंत्रण अधिकारी, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) नई दिल्ली (इस समय के कार्यकर्ता खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (खाद्य विभाग) में भण्डारण और निरीक्षण निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं), पदेन

(iiiबी) महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा और श्रम संस्थान श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग), आफ ईस्टर्न एक्सप्रैस हाईवे सीओन, बम्बई-22 (डी०डी०) (इस समय के कार्य कर्ता फैक्टरियों के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं), पदेन।

[सं० 22-1/70-ब० र० अनु०]

अन्ना आर० जार्ज,
संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972